घरेलू गैस एवं डीजल, पेट्रोल की नहीं किल्लत : कलेक्टर

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 11 मार्च. जिले में घरेलू गैस सप्लाई निर्बाध चलती रहे और आमजनों को परेशानी नहीं आएगी जिले में घरेलू गैस एवं डीजल, पेट्रोल की कोई

गैस एजेंसी संचालकों एवं व्यापारियों के साथ की बैठक

परेशानी नहीं है। कमर्शियल गैस सिलेण्डर की कमी है। अस्पताल एवं हॉस्टल को उपलब्ध कराया जाएगा व्यवसायिक सिलेण्डर। कलेक्टर श्रीमती रूचिका चौहान ने बुधवार को कलेक्टर सभागार में गैस एजेंसी संचालकों, चेंबर ऑफ कॉमर्स, कैट ,व्यवसायियों एवं विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की।

कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि विभागीय अधिकारी जिले में घरेलू गैस की मांग को आंकलन करें। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि

अगर कोई घरेलू गैस सिलेण्डर से किसी ने व्यवसायिक सिलेण्डर में रिफिलिंग करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज कराई जाए। उन्होंने कहा है कि शहर में घरेलू गैस के लिए अवंतिका एवं अन्य गैस एजेंसियों की गैस लाइन उपलब्ध है। जिसे भी आवश्यकता है वह गैस कनेक्शन प्राप्त कर सकता है।

कलेक्टर श्रीमती रूचिका चौहान ने बैठक में कहा है कि जिले में पर्याप्त मात्रा में घरेलू गैस उपलब्ध है। जिले में घरेलू गैस, डीजल एवं पेट्रोल की किल्लत नहीं होने दी जाएगी। जिलेवासियों को घरेलू गैस, पेट्रोल एवं डीजल के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह एजेंसी के साथ मिलकर जिले में घरेलू गैस की मांग का आंकलन करें, जिससे गैस सप्लाई में परेशानी नहीं हो।

उन्होंने कहाकि शहर में गैस सिलेण्डर एवं पाईप लाइन के माध्यम से सप्लाई की जा रही है। कलेक्टर श्रीमती रूचिका चौहान ने खाद्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह गैस एजेंसी से संपर्क बनाए रखें किसी भी परेशानी आने पर तत्काल कार्रवाई करें।

इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि घरेलू गैस सिलेण्डर से किसी अन्य सिलेण्डर में गैस रिफिलिंग नहीं करें, ऐसा करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी, साथ ही गैस का भण्डारण करने वाले लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।बैठक में गैस एजेंसी संचालक एवं व्यवसाइयों ने भी अपने-अपने सुझाव रखे। कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने वर्तमान समय में व्यवसायिक गैस सिलेण्डर की कमी है। इसको देखते हुए व्यवसायिक वैकल्पिक संसाधनों का उपयोग करें। आने वाले दिनों में स्थिति सामान्य होने पर नियमित सप्लाई की जायेगी।

14 से 15 वर्ष की बालिकाओं को टीकाकरण अभियान के तहत तीन हजार से अधिक बालिकाओं का किया गया टीकाकरण

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 11 मार्च. 14 से 15 वर्ष की बीच की बालिकाओं को एचपीवी की वैक्सीन का टीका लगाया जा रहा है। टीकाकरण महा अभियान के तहत ग्वालियर जिले में 25 टीकाकरण केंद्रो के माध्यम से लगभग 3000 बालिकाओं को टीके लगाए गए है। टीकाकरण से बालिकाओं में सरवायकल कैंसर जैसी कई बिमारियों से सुरक्षा मिलती है। टीकाकरण के कारण किसी भी बालिका को कोई भी परेशानी नहीं हुई है। टीकाकरण के दौरान उपयोग की जा रही वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ सचिन श्रीवास्तव ने बताया है कि रविवार को पिछोर स्वास्थ्य केंद्र पर 9 बालिकाओं को एचपीवी का टीका लगाया गया था, टीका लगाने के बाद बालिकाएं अपने घर शासकीय वाहन से चली गईं। बच्चियों ने रास्ते में गिर्जारा तिराहे के पास कुछ खाने की इच्छा प्रकट की जिसके

4 बच्चियों की तबियत भी बिगड़ी

बाद बालिकाओं ने पानी की टिक्की पी और फिंगर चिप्स खाए। इसके बाद 10 मार्च को 4 बालिकाओं को पेट दर्द एवं उल्टी की समस्या हुई। बालिकाओं को सिविल अस्पताल डबरा में लाया गया। जहां बालिकाओं को आधा घण्टा आबर्जेवेशन में रखा गया और बाहर का खाने की मना की गई। इसके बाद बालिकाओं को घर भेज दिया गया बालिकाएं अब पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ सचिन श्रीवास्तव ने 14 से 15 साल की बच्चियों के पालकों से अपील की है कि वह अपनी बच्चियों को एचपीवी वैक्सीन का टीका अवश्य लगवाएं जिससे भविष्य में बच्चियां सर्वाईकल कैंसर से बच सकें। जिले में 3 हजार बालिकाओं को अभी तक एचपीवी का टीका लगाया जा चुका है।

उन्होंने बताया कि डबरा ब्लॉक के ग्राम बारकरी ग्राम पंचायत सेवढ़ा की बालिका को जो दिक्कत हुई वह पानी की टिक्की एवं बाजार के चिप्स खाने से हुई है। टीकाकरण के कारण किसी भी बालिका को कोई परेशानी नहीं हुई है।गौरतलब है कि सुबह सूचना मिली थी कि ग्वालियर जिले के पिछोर नगर में एचपीवी वैक्सीन से 4 बच्चियों की तबीयत बिगड़ गई है। बिना बताए वैक्सीन लगाने का आरोप लगा है। यह टीका सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए लगाया जाता है। बच्चियों को पिछोर अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

12 ईडब्ल्यूएस भूखंडों के पंजीयन की लॉटरी निकली

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 11 मार्च. ग्वालियर विकास प्राधिकरण द्वारा आज आनंद नगर योजना के अंतर्गत 12 ईडब्ल्यूएस भूखंडों के पंजीयन एवं भूखंड क्रमांक की लॉटरी प्रक्रिया संपादित की गई। उक्त 12 भूखंडों के विरुद्ध कुल 187 आवेदन प्राप्त हुए थे। लॉटरी प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शिता के साथ सम्पन्न कराई गई, जिसमें बड़ी संख्या में हितग्राही उपस्थित रहे।

लॉटरी के माध्यम से निम्नानुसार श्रेणियों में आवंटन किया गया -अनुसूचित जाति - 01,अनुसूचित जनजाति - 01, दिव्यांग 01,अन्य पिछड़ा वर्ग - 01,सामान्य महिला - 01,सामान्य वर्ग - 07,लॉटरी में चयनित हितग्राहियों को निर्धारित राशि जमा करने हेतु पत्र द्वारा सूचित किया जाएगा। इस अवसर पर प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सहायक संपदा अधिकारी, एवं अन्य अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित थे।

एमिटी विवि में मीडिएशन पर अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 11 मार्च. एमिटी लॉ स्कूल, एमिटी विश्वविद्यालय ग्वालियर द्वारा 'मध्यस्थता के संदर्भ में वैश्विक चुनौतियाँ और अवसर' विषय पर दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फरेंस का आयोजन किया गया। कॉन्फ्रेंस के मुख्य अतिथि प्रो. (डॉ.) सुखसिमरनजीत सिंह, न्यायिक मध्यस्थता एवं मध्यस्थता सेवाएँ, सिंह एकेडमी ऑफ मीडिएशन एंड अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन, कैलिफोर्निया एवं विशिष्ट अतिथि माननीय न्यायाधीश वैनेसा ए. ज़ेकर, पूर्व न्यायाधीश उच्चतर न्यायालय कैलिफ़ोर्निया, न्यायिक मध्यस्थता एवं मध्यस्थता सेवाएँ की सुप्रसिद्ध मीडिएटर उपस्थित रहीं। उद्घाटन समारोह में कुलगुरु प्रो. आर एस तोमर ने प्रतिभागियों को संबोधित

करते हुए कहा कि वर्तमान युग में वाणिज्यिक संव्यवहारों की जटिलता पक्षकारों के विवादों के निपटारे हेतु मध्यस्थता एवं सुलह का मार्ग प्रशस्त करती है,। प्रो चांसलर लेफ्टिनेंट जनरल वी के शर्मा (एवीएसएम) ने बताया कि मध्यस्थ एवं सुलह की यह प्रक्रिया महाभारत काल में भी देखने को मिलती हैं जहां भगवान श्रीकृष्ण ने महाभारत के युद्ध से पहले कौरवों और पांडवों के मध्य सुलह कराने हेतु कई संधि प्रस्ताव रखे थे।

मुख्य अतिथि प्रो. (डॉ.) सुखसिमरनजीत सिंह ने बताया कि विदेशी पक्षकारों के लिए एक अच्छे मीडिएटर में तटस्थता, भाषाई प्रवीणता, सांस्कृतिक समझ और जटिल अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का ज्ञान होना आवश्यक है। उन्हें गोपनीय, रचनात्मक और धैर्यवान होना चाहिए। वहीं विशिष्ट अतिथि न्यायाधीश वैनेसा ए. ज़ेकर ने बताया कि जब किसी गंभीर विवाद में शामिल पक्ष अदालती लड़ाई से बचना चाहते हैं, तो मध्यस्थता के विभिन्न तरीके एक प्रभावी विकल्प हो सकते हैं।

समापन समारोह के मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति रोहित आर्य, पूर्व न्यायाधीश मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा कि एक प्रभावी मध्यस्थता के लिए विभिन्न व्यक्तित्वों और वातावरणों के अनुकूल ढलने की क्षमता आवश्यक है.

एमिटी लॉ स्कूल के निदेशक मेजर जनरल राजिंदर कुमार (अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल) पूर्व न्यायाधीश महाधिवक्ता- थलसेना ने बताया कि एमिटी लॉ स्कूल द्वारा पूर्व में भी मीडियेशन जैसे गंभीर विषय पर कई कार्यशालाएं आयोजित की जाती रही हैं। समन्वयक डॉ अरुण शर्मा ने बताया कि सर्वश्रेष्ठ शोध पत्र के तौर पर प्रथम स्थान पर श्री कोडा श्याम सुंदर, रिसर्च एसोशिएट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स गुरुग्राम हरियाणा एवं द्वितीय स्थान पर डॉ सीमा धर सह प्राध्यापिका, शासकीय विधि महाविद्यालय तिरुवनंतपुरम केरलम को चयनित किया गया, जिन्हें पुरस्कारस्वरूप प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। प्रतिभागी विश्वविद्यालयों में प्रमुख रूप से महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय मुंबई, स्कूल ऑफ लॉ सीएमआर विश्वविद्यालय, विधि विभाग पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़, यूआईएलएस पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़, छत्रपति शिवाजी महाराज विश्वविद्यालय पनवेल, सरला बिरला विश्वविद्यालय रांची, अमृता इंटरनेशनल स्कूल ऑफ लॉ अमृता विश्व विद्यापीठम कोयंबटूर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज तिरुवनंतपुरम केरल थे।

शिक्षा का मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान : विस अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 11 मार्च. विधान सभा अध्यक्ष श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा है कि शिक्षा का जीवन में उतना ही महत्व है जितना मनुष्य के शरीर में रीढ़ की हड्डी का होता है। श्री तोमर बुधवार 11 मार्च को के आर जी कॉलेज में वार्षिक उत्सव समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में छात्राओं को संबोधित कर रहे थे।

के आर जी कॉलेज का वार्षिक उत्सव समारोह संपन्न

नवीन सभागार लोकार्पित

विधान सभा अध्यक्ष श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने केआरजी कॉलेज में नव निर्मित सभागार का लोकार्पण भी किया। इस समारोह में भाजपा जिला अध्यक्ष श्री जय प्रकाश राजौरिया, राजा मानसिंह तोमर संगीत विश्व विद्यालय श्रीमती स्मृति सहस्त्रबुद्धे, कॉलेज की प्राचार्य डॉ. साधना श्रीवास्तव, जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष श्री अरविंद रघुवंशी, पूर्व अध्यक्ष श्रीमती मीना संचान सहित जन प्रतिनिधि, पूर्व प्राचार्यगण एवं बड़ी

संख्या में छात्रायें उपस्थित थी।

विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि केआरजी कॉलेज ग्वालियर-चंबल अंचल का ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश का अव्वल कॉलेज है। यहां की छात्राओं ने विभिन्न क्षेत्र में देश का नाम रोशन किया है।

उन्होंने कहा कि देश ओर प्रदेशों की सरकार ने भी महिला शिक्षा के लिए अनेक सार्थक प्रयास किए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश को नई शिक्षा नीति दी है। विधानसभा अध्यक्ष श्री तोमर ने छात्राओं से कहा कि जीवन में शिक्षा बहुत जरूरी है लेकिन हमें अपनी संस्कृति,अध्यात्म पर भी गर्व करना चाहिए। समारोह में भाजपा जिला अध्यक्ष श्री जयप्रकाश राजोरिया ने भी अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि देश का अमृत काल में वर्ष 2047 युवाओं के हाथ में होगा। महिला शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हुआ है। आज महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपना परचम लहराया है।

कार्यक्रम के प्रारंभ में महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. साधना श्रीवास्तव ने स्वागत भाषण दिया उन्होंने महाविद्यालय के वार्षिक प्रतिवेदन का वाचन भी किया।

पुरस्कार वितरण समारोह

विधान सभा अध्यक्ष श्री नरेन्द्र सिंह तोमर एवं अतिथियों ने महाविद्यालय की छात्राओं को विभिन्न विधाओं में उल्लेखनीय कार्य करने पर सम्मान भी किया। इस मौके पर छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किये।

नेशनल लोक अदालत के प्रचार-प्रसार के लिए वाहन रवाना

ग्वालियर 11 मार्च. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार ग्वालियर जिले में भी 14 मार्च को नेशनल लोक अदालत का आयोजन होगा। प्रधान जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री ललित किशोर ने लोक अदालत के प्रचार-प्रसार के लिए बुधवार को हरी झण्डी दिखाकर प्रचार वाहनों को रवाना किया। इस अवसर पर विशेष न्यायाधीश श्री ऋतुराज सिंह चौहान सहित जिला न्यायालय के अन्य न्यायाधीशगण एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री प्रियंक भारद्वाज व जिला विधिक सहायता अधिकारी कुमारी अंकिता शांडिल्य उपस्थित थे।

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पक्षकारा श्रीमती आरती देवी पत्नी श्री रामू तोमर ने उक्त अचल संपत्ति प्लॉट स्थित रानीपुरा ग्वालियर में है। जिसका म्यु. वार्ड क्र. 09 एवं सर्वे क्र. 330 का भाग 1023.90 वर्गफुट है। जो मेरी पक्षकारा की क्रयशुदा सम्पत्ति है। मेरी पक्षकारा की क्रयशुदा सम्पत्ति विक्रय पत्र के तहत चतुरसीमा निम्नानुसार है। पूर्व में - रास्ता, पश्चिम में-रास्ता, उत्तर में-भवन सविता राजपूत दक्षिण में भवन गोपाल कौर जिसका कुल क्षेत्रफल 1023.90ॉ वर्गफुट है। लेकिन मेरी पक्षकारा के पूर्व विक्रेता सरनाम सिंह पुत्र श्री अजुद्दी राठौर की क्रयशुदा सम्पत्ति रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दस्तावेज क्र. 1720 ग्रन्थ नं. 23343 तारीखी 10.08.2011 में श्रीमती गोपाल कौर पत्नी श्री सरमन सिंह के द्वारा सम्पादित किया। मेरी पक्षकारा के पूर्व विक्रेता सरनाम सिंह पुत्र श्री अजुद्दी राठौर की क्रयशुदा सम्पत्ति रजिस्टर्ड असल विक्रय पत्र मेरी पक्षकारा से कही गुम हो गया जो कि काफी तलाशने पर भी नही मिला। अगर किसी व्यक्ति, बैंक, संस्था, निगम, शासकीय, अशासकीय विभागों या प्राईवेट फायनेंश को मेरी पक्षकारा के पूर्व विक्रेता सरनाम सिंह पुत्र श्री अजुद्दी राठौर की कयशुदा सम्पत्ति रजिस्टर्ड असल विक्रय पत्र मिल जाता है। तो नीचे पते पर 7 दिवस के अन्दर सूचित करे और मेरी पक्षकारा अचल संपत्ति प्लॉट का कुल क्षेत्रफल 1023.90 वर्गफुट पर हाउसिंग लोन की सुविधा केनफिन होम्स लिमिटेड सिटी सेन्टर ग्वालियर से आवंटित करा रही है। जो सुचित हो ।

दिनांक-11.03.2026

स्थान-ग्वालियर

भवदीय

संजय बाकलीवाल एडवोकेट

चिक संतर मुरार ग्वालियर

मो. 9300981954

CHANGE OF NAME

I, **SANJEEV KUMAR AGNIHOTRI S/O RAMBABU AGNIHOTRI** Residing of D-11, City Garden, New Jiwaji Nagar, Thatipur, GWALIOR, M.P-474011 have changed my name from **SANJEEV KUMAR AGNIHOTRI** to **SANJEEV AGNIHOTRI**

Vide Affidavit No BX 685345 Dated 10/03/2026. Before High Court, Gwalior (M.P.)

नाम परिवर्तन

मेरे आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम **ABHISHEK SINGH KAURAV** दर्ज है व 10th की मार्कशीट में मेरा नाम **ABHISHEK KAURAV** दर्ज है दोनों ही नाम मेरे ही हैं। अत: मुझे भविष्य में **ABHISHEK SINGH KAURAV** पुत्र **SHREE JITENDRA SINGH KAURAV** के नाम से जाना पहचाना जाए।

नाम परिवर्तन सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूं कि मुझ **सजल अग्रवाल** का नाम मेरे आधार कार्ड एवं पैन कार्ड में **सजल अग्रवाल** है परन्तु मेरे पासपोर्ट नंबर J8475115 में मेरा नाम **सजल कुमार अग्रवाल** है और दोनों ही नाम मुझ शपथकर्ता के ही हैं। अत: मेरे पासपोर्ट में मेरा नाम **सजल कुमार अग्रवाल** के स्थान पर **सजल अग्रवाल** दर्ज किया जावे और आज से मुझे **सजल कुमार अग्रवाल** के स्थान पर **सजल अग्रवाल** नाम से ही जाना एवं पहचाना एवं पढ़ा जावे एवं मेरी पत्नी एवं दोनों पुत्रियों में मेरा नाम **सजल कुमार अग्रवाल** के स्थान पर **सजल अग्रवाल** दर्ज किया जावेगा.

दिनांक 11.02.2026

प्रेषक

सजल अग्रवाल, 04 नाथ कृपा, ओप्प होटल ग्रेस, रुप सिंह स्टेडियम के पास झांसी रोड, गिर्द, ग्वालियर (म.प्र.) 474002

CHANGE OF NAME

I Army No. JC 703572Y SUB MAJ **Machirla Somasekhara Rao** presently residing at Vill-2-157, Nibhanupudi,, Post Nimmakuru, Teh - Pamarru, District - Krishna, State - Andhra Pradesh PIN -521158 do hereby solemnly affirm and state on oath as follows- That, I have changed my daugghter name from **Macharla Jishita** to **Macharla Jishitha** due to wrongly entered in my service documents. That, I am producing this affidavit for the purpose of evidence for my daughter Name. That, both names **Macharla Jishita** and **Macharla Jishitha** pertain to one and the same person. That, I shall at all times hereafter in all records. Deeds and writing and in all proceeding dealing with transactions, private as well as under all occasions what so ever be known as only **Macharla Jishitha**. That what is stated above is true and correct to best of my knowledge, information and belief. Nothing material has been concealed there from. Date 09-03-2026, Gwalior

गंदगी फैलाने पर वसूला जुर्माना

ग्वालियर 11 मार्च. शहर स्वच्छ व साफ रहे इसलिए गंदगी फैलाने वालों, अमानक पॉलीथिन, गोबर नालियों में बहाने वालों एवं भवन सामग्री सडक पर डालने वालों पर निगम द्वारा निरंतर कार्रवाई की जा रही है। निगम आयुक्त श्री संघ प्रिय के निर्देशानुसार गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ जुर्माने की कार्यवाही निरंतर की जा रही है। जिसके तहत आज स्वास्थ्य अधिकारी श्री किशोर चौहान के निर्देशन में वार्ड क्रमांक 38 गोल पहाड़ियां स्थित दुकानदार राजपूत डेयरी एवं राकेश डेयरी द्वारा अमानक पॉलीथिन का उपयोग करने पर 2000 रूपये, वार्ड क्रमांक 52 में गंदगी करने पर नवाब एवं धर्मेंद्र जोशी पर 800 रूपये, वार्ड क्रमांक 54 ईदगाह कंपू पर नाली में गोबर बहाने पर विजय पाल एवं अशोक पाल भैंस डेयरी संचालकों से 2000 रूपये एवं वार्ड क्रमांक 55 में खुले में मीट मांस बेचने पर रहीस कुरेशी पर 500 रूपये का जुर्माना किया गया। कार्रवाई के दौरान सहायक स्वास्थ्य अधिकारी श्री धर्मेंद्र परमार, श्री जोगेंद्र यादव, फ्लाइंग एस्कॉर्ट प्रभारी श्री धर्मेंद्र धीरज धौलपुरिया, जोनल हेल्थ ऑफिसर श्री विजय कुमार, वार्ड हेल्थ ऑफिसर श्री अशोक कुमार, श्री अरुण चंदोकर उपस्थित रहे।

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती कुसुम पत्नी श्री दीपक बाल्मीक ने एक अचल संपत्ति जिसका प्लाट क्र. 05, वार्ड नंबर 15, राधा कॉलोनी, ग्राम गदाईपुरा तहसील व जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश के सर्वे क्र. 307/4 की होकर जिसकी चतुर्सीमाः- पूर्व में- प्लाट राजू , पश्चिम में- पुराने विक्रेता का प्लाट, उत्तर में- प्लाट गोविन्द, दक्षिण में- आम रास्ता व कुल क्षेत्रफल 525 वर्गफुट है को क्रय करने का लिखतम विक्रय अनुबंध-पत्र संपत्ति मालिक श्रीमान रणवीर सिंह राणा पुत्र श्री चक्रपान सिंह के साथ संपादित किया है। उक्त संपत्ति पूर्व में श्रीमान स्वामी व खेमराज पुत्रगण श्री हरदू एवं श्रीमती विमलेश पत्नी स्व. श्री सुखलाल व अन्य के स्वत्व, स्वामित्व व संयुक्त आधिपत्य की थी। तत्पश्चात केवल श्रीमान स्वामी व खेमराज पुत्रगण श्री हरदू एवं श्रीमती विमलेश पत्नी स्व. श्री सुखलाल द्वारा श्रीमान रणवीर सिंह राणा पुत्र श्री चक्रपान सिंह को रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र विलेख सरल क्र. अ1/ 666 व दिनांक 16.07.2014 से विक्रय की गई। तदानुसार उक्त संपत्ति के अंश भाग में से श्री रणवीर सिंह राणा पुत्र श्री चक्रपान सिंह द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विलेख शीघ्र ही क्रेता के पक्ष में संपादित किया जाने वाला है। अतः उक्त संपत्ति को मेरे पक्षकार वित्तीय संस्थान ग्वालियर के समक्ष बंधक किया जाकर ऋण प्राप्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय, बैंक या किसी अन्य उत्तराधिकारी का किसी पूर्ण या अंश भाग पर या किसी भी संस्था की कोई राशि अवशेष हो तो इस सूचना के प्रकाशन से 07 (सात दिवस) की अवधि में विधिवत अपने दावे के समर्थन में समस्त प्रपत्र सहित मेरे कार्यालय में संपर्क कर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। अन्यथा वर्णित अवधि के अवसान उपरांत समस्त आपत्तियां इस सूचना प्रपत्र के समक्ष व्यर्थ, शून्य व प्रभावहीन होंगी और उक्त संपत्ति पर प्रदत्त ऋण हेतु बंधककर्ता वित्तीय संस्थान का अधिकार सर्वोपरि होगा। कृपया सूचित हो। इति दिनांक 11.03.2026

प्रेषक-**विशाल अग्रवाल** (अधिवक्ता)

कार्यालय -"मैसर्स श्री हीरानन्द लीगल कंसल्टेंट"

ग्राउंड फ्लोर, यादव मार्केट, जीवाजी यूनिवर्सिटी गेट नंबर 2 के पास, सिटी सेंटर ग्वालियर मो.9826820987

न्यायालय अपर कलेक्टर एवं विवाह पंजीयन अधिकारी जिला भिण्ड म.प्र.

क्र./क्यु/एडीएम/वि.पंजी./भिण्ड,
दिनांक : 27.02.2026
प्र.क्र. 0080/बी-121/2025-26/2901

इश्तहार

आवेदक प्रदीप गोयल पुत्र रामदास नि. वार्ड नं. 21 अम्बेडकर नगर भिण्ड म.प्र. द्वारा एक आवेदन - पत्र अंतर्गत धारा 15 हिन्दू मैरिज एक्ट 1954 के तहत स्वयं का शपथ पत्र एवं सूची दस्तावेज पेश कर उनका विवाह आवेदिका रूबी पुत्री मुकेश जाटव नि. ग्राम संजयपुरा पोस्ट नीमडाड़ा तहसील सेवड़ा जिला दतिया म.प्र. के साथ दिनांक 28.05.2025 को ग्राम संजयपुरा पोस्ट नीमडाड़ा तहसील सेवड़ा जिला दतिया म.प्र. में हुआ था। आवेदक को विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। अतः विवाह पंजीयन कर प्रमाण पत्र जारी करने का निवेदन किया है। उन्होंने यह भी शपथपूर्वक लिखा है कि उनके द्वारा अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत निम्न शर्तें पूरी की जा रही हैं :- 1. पक्षकारों का परस्पर विवाह हो चुका है और वे तब से निरन्तर पति-पत्नी के रूप में रह रहे हैं। 2. किसी पक्षकार का एक से अधिक पति या पत्नी रजिस्ट्रीकरण के समय जीवित नहीं है। 3. कोई पक्षकार रजिस्ट्रीकरण के समय जढ या पागल नहीं है। 4. पक्षकारों ने रजिस्ट्रीकरण के समय 21 वर्ष एवं 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है। 5. पक्षकारों में प्रतिषिद्ध कोटि की कोई नातेदारी नहीं है। 6. पक्षकार उस विवाह अधिकारी के जिले के भीतर तारीख के ठीक पहले, जब विवाह के रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन विवाह अधिकारी को किया हो कम से कम तीस दिन की कालावधि तक निवास करते रहे हैं। एतद् द्वारा सर्वसाधरण को सूचित किया जाता है। उक्त विवाह के सम्बंध में यदि कोई आपत्ति/जानकारी/आवेदन इस प्रकरण में यह विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक के 30 दिवस के पूर्व प्रस्तुत किया जा सकता है। यह जानकारी आपत्ति लिखित / मौखिक दोनों रूपों में स्वंय उपस्थित होकर या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से अधोहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी के भिण्ड स्थित न्यायालय में न्यायालयीन समय पर प्रस्तुत की जा सकेगी

विवाह अधिकारी एवं अपर कलेक्टर
जिला भिण्ड

न्यायालय अपर कलेक्टर एवं विवाह पंजीयन अधिकारी जिला भिण्ड म.प्र.

क्र./क्यू/एडीएम/वि.पंजी./
भिण्ड, दिनांक : 02.03.2026
प्र.क्र. 0081/बी-121/2025-26

इश्तहार

आवेदक प्रमेन्द्र सिंह भदौरिया पुत्र स्व. श्री महेन्द्रपाल सिंह भदौरिया नि. वार्ड नं. 6 उषा कॉलोनी भिण्ड म.प्र. द्वारा एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 15 हिन्दू मैरिज एक्ट 1954 के तहत स्वंय का शपथ पत्र एवं सूची दस्तावेज पेश कर उनका विवाह आवेदिका रचना पुत्री श्री जगतपाल सिंह कुशवाह नि. चोर गली झांसी मौहल्ला भिण्ड म.प्र. के साथ दिनांक 18.02.1999 को चोर गली झांसी मौहल्ला भिण्ड म.प्र. में सम्पन्न हुआ था। आवेदकगण द्वारा उक्त विवाह के संबंध में हिन्दू विवाह अधिनियम 1954 के तहत विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करने हेतु निवेदन किया गया है। उन्होंने यह भी शपथपूर्वक लिखा है कि उनके द्वारा अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत निम्न शर्तें पूरी की जा रही हैं:-1. पक्षकारों का परस्पर विवाह हो चुका है और वे तब से निरन्तर पति-पत्नी के रूप में रह रहे हैं। 2. किसी भी पक्षकार का एक से अधिक पति या पत्नी रजिस्ट्रीकरण के समय जीवित नहीं है। 3. कोई पक्षकार रजिस्ट्रीकरण के समय जढ या पागल नहीं है। 4. पक्षकारों ने रजिस्ट्रीकरण के समय 21 वर्ष एवं 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है। 5. पक्षकारों में प्रतिषिद्ध कोटि की कोई नातेदारी नहीं है। 6. पक्षकार उस विवाह अधिकारी के जिले के भीतर तारीख के ठीक पहले, जब विवाह के रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन विवाह अधिकारी को किया हो कम से कम तीस दिन की कालावधि तक निवास करते रहे हैं। एतद् द्वारा सर्वसाधरण को सूचित किया जाता है। उक्त विवाह के सम्बंध में यदि कोई आपत्ति/जानकारी/आवेदन इस प्रकरण में यह विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक के 30 दिवस के पूर्व प्रस्तुत किया जा सकता है। यह जानकारी आपत्ति लिखित / मौखिक दोनों रूपों में स्वंय उपस्थित होकर या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से अधोहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी के भिण्ड स्थित न्यायालय में न्यायालयीन समय पर प्रस्तुत की जा सकेगी।

विवाह अधिकारी एवं अपर कलेक्टर
जिला भिण्ड

न्यायालय अपर कलेक्टर एवं विवाह पंजीयन अधिकारी जिला भिण्ड म.प्र.

क्र./क्यू/एडीएम/वि.पंजी./
भिण्ड, दिनांक : 09:03:2026
प्र.क्र. 0082/बी-121/2025-26

इश्तहार

आवेदक अजयपाल सिंह पुत्र श्री प्रहलाद सिंह बघेल नि. ग्राम तुर्कपुरा पोस्ट गोपालपुरा थाना बरोही तहसील व जिला भिण्ड म.प्र. द्वारा एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 15 हिन्दू मैरिज एक्ट 1954 के तहत स्वंय का शपथ पत्र एवं सूची दस्तावेज पेश कर उनका विवाह आवेदिका अल्पना पुत्री स्व. श्री जयराम नि. ग्राम इन्दुर्खी थाना रौन तहसील व जिला भिण्ड के साथ दिनांक 17.04.2019 को चौधरी मांगलिक भवन भारौली रोड भिण्ड म.प्र. में सम्पन्न हुआ था। आवेदकगण द्वारा उक्त विवाह के संबंध में हिन्दू विवाह अधिनियम 1954 के तहत विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करने हेतु निवेदन किया गया है। उन्होंने यह भी शपथपूर्वक लिखा है कि उनके द्वारा अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत निम्न शर्तें पूरी की जा रही हैं :- 1. पक्षकारों का परस्पर विवाह हो चुका है और वे तब से निरन्तर पति-पत्नी के रूप में रह रहे हैं। 2. किसी पक्षकार का एक से अधिक पति या पत्नी रजिस्ट्रीकरण के समय जीवित नहीं है। 3. कोई पक्षकार रजिस्ट्रीकरण के समय जढ या पागल नहीं है। 4. पक्षकारों ने रजिस्ट्रीकरण के समय 21 वर्ष एवं 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है। 5. पक्षकारों में प्रतिषिद्ध कोटि की कोई नातेदारी नहीं है। 6. पक्षकार उस विवाह अधिकारी के जिले के भीतर तारीख के ठीक पहले, जब विवाह के रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन विवाह अधिकारी को किया हो कम से कम तीस दिन की कालावधि तक निवास करते रहे हैं। एतद् द्वारा सर्वसाधरण को सूचित किया जाता है। उक्त विवाह पंजीयन के सम्बंध में यदि कोई आपत्ति/जानकारी/आवेदन इस प्रकरण में यह विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक के 30 दिवस के पूर्व प्रस्तुत किया जा सकता है। यह जानकारी आपत्ति लिखित / मौखिक दोनों रूपों में स्वंय उपस्थित होकर या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से अधोरताक्षरकर्ता अधिकारी के भिण्ड स्थित न्यायालय में न्यायालयीन समय पर प्रस्तुत की जा सकेगी

विवाह अधिकारी एवं अपर कलेक्टर
जिला भिण्ड